पर्यटन निदेशालय, उत्तराखण्ड/

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद

पं0 दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,

(निकट– ओ0एन0जी0सी0 हैलीपैड, निम्बूवाला, गढ़ीकैन्ट, देहरादून)

दूरभाष: 0135–2559898, E-mail- tourismkarmik@gmail.com

संख्या–6783/2–2–227/(का0)/2026–2025 देहरादून: दिनांक 24/03/2025

सेवा में,

नोडल अधिकारी,
स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट
कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन संस्थान,
नई टिहरी।

विषयः–स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन (नई टिहरी) संस्थान की प्रख्यापित शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर सेवा नियमावली, 2024" का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, पर्यटन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के अधिसूचना संख्या–I/279742/2025 दिनांक 04 मार्च, 2025 द्वारा स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन (नई टिहरी) संस्थान की शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर अधिकारियों की सेवा शर्तें निर्धारित किये जाने हेतु **"स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन (नई टिहरी) संस्थान की शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर सेवा नियमावली, 2024"** प्रख्यापित की गई है।

अतः पर्यटन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त सन्दर्भित अधिसूचना द्वारा प्रख्यापित नई टिहरी संस्थान की **"शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर सेवा नियमावली, 2024"** की छायाप्रति अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 सामन्त)
संयुक्त निदेशक पर्यटन/
कार्यालयाध्यक्ष।

I/279742/2025

पर्यटन निदेशालय
693
10-3-25

उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग–1
देहरादून: दिनांक: 04 मार्च, 2025

अधिसूचना

स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन (नई टिहरी) संस्थान की शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर अधिकारियों की सेवा शर्तें निर्धारित किये जाने हेतु **"स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन (नई टिहरी) संस्थान की शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर सेवा नियमावली, 2024" (संलग्न–क)** प्रख्यापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
संलग्न–उपरोक्तानुसार।

Signed by
Sachin Sharad C Kurve
Date: 04-03-2025 12:23:25
(सचिन कुर्वे)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री को मा0 पर्यटन मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, देहरादून।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. नोडल अधिकारी, स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन संस्थान, नई टिहरी।
6. निदेशक, राजकीय प्रेस, उत्तराखण्ड रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि इस अधिसूचना की 150 प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by
Harish Kumar Sagar
Date: 04-03-2025 12:52:00
(हरीश कुमार)
उप सचिव।

JD(K)

6.3.2025

मु0प्र0अ0(का)

7/3

संलग्नक–क

स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, (नई टिहरी) संस्थान की शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर सेवा नियमावली,2024

भाग एक–सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम स्टेट इस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन (नई टिहरी) संस्थान की शैक्षणिक/शिक्षेणेत्तर सेवा नियमावली, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रभावी होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति :–

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, उत्तराखण्ड के अधीन तकनीकी शिक्षा सेवा है, जिसमें क, ख, ग, घ समूह के पद सम्मिलित हैं।

3. परिभाषाएं :–

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) "संस्थान" का तात्पर्य, स्टेट इस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईडन्यूट्रीशन, नई टिहरी जिसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आधिनियम 1860 के अन्तर्गत हुआ है, से है।

(ख) "सोसाइटी" का तात्पर्य, स्टेट इस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन(नई टिहरी) सोसाइटी से है।

(ग) "परिषद" का तात्पर्य संस्थान की सोसाइटी (बोर्ड ऑफ गर्वनर्स) के लिये गठित परिषद् से है।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य, स्टेट इस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टैक्नोलॉजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन (नई टिहरी) सोसाइटी के अध्यक्ष (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन)से है।

(ड.) "सदस्य सचिव" का तात्पर्य, राज्यस्तरीय होटल प्रबंधन, खानपान तकनीकी एवं पोषाहार संस्थान, नई टिहरी के प्राचार्य/निदेशक से है।

(च) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य, संस्थान के प्राचार्य/निदेशक से है।

(छ) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य संस्थान के प्रशासक मण्डल के अध्यक्ष (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन) से है।

(ज) "प्रशासनिक अधिकारी" का तात्पर्य, संस्थान के प्राचार्य/निदेशक से है।

(झ)"कर्मचारी" का तात्पर्य, उत्तराखण्ड सरकार के अन्तर्गत विद्यमान नियमों के अधीनप्रशासक मण्डल द्वारा इस नियमावली के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया से चयनितकार्मिक से है।

(ट)"पद" का तात्पर्य, संस्थान के प्रशासक मण्डल द्वारा समय–समय पर पदों की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप विमर्श कर की गई संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत किये गये पदों से है।

(ठ)"सेवा"का तात्पर्य, संस्थान की सेवा से है।

(ड)"अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद"(अभातशिप) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के अधीन गठित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अभिप्रेत है।

भाग दो–संवर्ग

4. सेवा संवर्ग :–

(1)सेवा में अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर शैक्षणिक स्टॉफ हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकानुसार/योग्यतानुसार (भारत सरकार के राजपत्र, F. No–37–3/Legal/2010, दिनांक 22 जनवरी, 2010)/(भारत सरकार के राजपत्र, रजिस्ट्री सं0 डी0एल0–33004/99/07, दिनांक 04 जनवरी, 2016)/(भारत सरकार के राजपत्र, रजिस्ट्री सं0 डी0एल0–33004/99/82, दिनांक 01 मार्च, 2019 (अग्रेत्तर समय–समय पर यथा संशोधित) एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विद्यमान नियमों के अधीन,संस्थान के प्रशासक मण्डल के द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर राज्य सरकारद्वारा निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाए, उतनी होगी जो परिशिष्ट में दी गयी है: परन्तु उपबन्ध यह है कि :–

(क)नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा किसी पद को इस प्रकार प्रास्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(ख) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते है, जैसा कि उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

5. भर्ती का स्रोत :–

(1)शैक्षणिक सेवा की विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(एक)	निदेशक /प्राचार्य	सीधी भर्ती द्वारा
(दो)	प्रोफेसर	प्रोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा(50%–50%)
(तीन)	एसोसिएट प्रोफेसर	प्रोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा(50%–50%)
(चार)	असिस्टेंट प्रोफेसर	सीधी भर्ती द्वारा

(2)शिक्षणेत्तर स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

01.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	प्रोन्नति द्वारा
02.	पुस्तकालयाध्यक्ष	सीधी भर्ती
03.	प्रशासनिक अधिकारी	प्रोन्नति

04.	प्रधान सहायक (स्टोर)	प्रोन्नति द्वारा
05.	लेखाकार	प्रोन्नति द्वारा
06.	वैयक्तिक सहायक	सीधी भर्ती
07.	असिस्टेंन्ट लाईब्रेरियन/छात्र	सीधी भर्ती
08.	सहायक लेखाकार/कैशियर	सीधी भर्ती
09.	वरिष्ठ सहायक	प्रोन्नति द्वारा
10.	कनिष्ठ सहायक/स्वागती कम लिपिक	सीधी भर्ती
11.	कनिष्ठ सहायक	सीधी भर्ती
12.	लैब अर्टेडेंट	सीधी भर्ती

6. आरक्षण :–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हता

7. राष्ट्रीयता :–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य(पूर्ववर्ती तांजानिया और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों के प्रव्रजन किया हो परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तरांचल द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी से सम्बन्धित है प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर ही सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी :– जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो , किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर कया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. **शैक्षणिक अर्हता** :–

सेवा में विभिन्न शैक्षणिक पदों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए–

(क)शैक्षणिक/शिक्षण स्टाफ :–

क्र. स.	पद/वेतनमान	स्थिति	शैक्षणिक अर्हता
1.	निदेशक /प्राचार्य वेतन लेवल–14, प्रवेश वेतन–144200/– (राज्य सरकार के अनुसार वेतन लेवल–15)	सीधी भर्ती	**सीधी भर्तीके लिए** :– **(क)** पी.एच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक शाखा में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष **(ख)**पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक के रूप में न्यूनतम दो सफल पी.एच.डी. मार्गदर्शन तथा एससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में न्यूनतम 8 शोध प्रकाशन **(ग)** शिक्षण/शोध/उद्योग का न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव प्रोफेसर के पद के समकक्ष पद पर हो। टिप्पणी : 1. यह पद 5 वर्ष के लिये संविदात्मक प्रकृति का होगा तथा कार्य निष्पादन के आधार पर इसे एक और अवधि के लिये बढ़ाया जा सकता है। 2. कार्य–निष्पादन मूल्यांकन संबद्व विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गयी समिति के माध्यम से संचालित किया जायेगा। 3. अंतिम अवधि की समाप्ति के उपरांत पदधारक अपने उस पूर्व पदनाम में अपने मूल संगठन में वापस पदभार ग्रहण कर लेगा जहां से वह प्रोफेसर/वरिष्ठ प्रोफेसर, जैसा भी मामला हो, के रूप में पदनाम के साथ आगे गया था।
2.	प्रोफेसर (लेवल–14, प्रवेश वेतन–144200/–) (राज्य सरकार के अनुसार वेतन लेवल–15)	प्रोन्नति/ सीधी भर्ती द्वारा	**1. सीधी भर्ती के लिए** :– **(क)** प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक शाखा में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष **और**

(ख)शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर अथवा समकक्ष पद पर होना चाहिए।

और

(ग)एस.सी.आई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर न्यूनतम 6 शोध प्रकाशन तथा प्रोन्नति की पात्रता की तारीख तक पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक के रूप में न्यूनतम 2 सफल पी.एच.डी.मार्गदर्शन

अथवा

प्रोन्नति की पात्रता की तारीख तक एसीसीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर न्यूनतम 10 शोध प्रकाशन

2.पदधारकों की प्रोन्नति के लिए

(क) प्रासंगिक क्षेत्र में पी.एच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक शाखा में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष।

और

(ख) अपेक्षाओं के लिए निम्न वर्णित सेट में से किसी एक की पूर्ति की हो।

सेट संख्या	पी.एच.डी. मार्ग–दर्शन	कुल अनुभव (वर्षों में)	एसोसिएट प्रोफेसर के संवर्ग में अर्जित किया जाना है		
			अनुभव (वर्षों में)	एससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में शोध प्रकाशन	औसत 360 डिग्री प्रतिपुष्टि अंक (10 में से)
1	1	15	3	6	8 से 10
2	2	15	3	6	5 से <8
3	–	16	3	4	8 से 10

टिप्पणियां:– 360 डिग्री प्रतिपुष्टि

1. प्रोन्नति की अपेक्षाओं के लिए, अगली अवस्था की पात्रता की तिथि तक, प्रति वर्ष प्राप्त प्रतिपुष्टि से सभी पूर्ववर्ती वर्षों की प्रतिपुष्टि को जोड़कर

			उसके औसत को लिए जाएगा। 2. ऐसे मामले में जहाँ उम्मीदवार निविर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिपुष्टि अंक (स्कोर) प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके पूर्ववर्ती वर्षों की प्रतिपुष्टि को विचार के लिए लिया जाएगा जबकि उनमें से किसी उस एक वर्ष को छोड़ दिया जाएगा, जिसमें न्यूनतम प्रतिपुष्टि स्कोर प्राप्त हुआ होगा।
3.	एसोसिएट प्रोफेसर (लेवल–13ए1, प्रवेश वेतन–131400/–)	प्रोन्नति/ सीधी भर्ती द्वारा	1. सीधी भर्ती के लिए :– (क) प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष और (ख) एससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में न्यूनतम कुल 6 शोध प्रकाशन और (ग)शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 2 वर्ष का पोस्ट पी.एच.डी. अनुभव होगा। टिप्पणी : एचएमसीटी के मामले में, विभागाध्यक्ष के पद में अनिम्न प्रबंधकीय स्तर पर 8 वर्ष का उद्योग का अनुभव जिसमें किसी 4 सितारा होटल अथवा ऊपर की श्रेणी में अथवा आतिथ्य–सत्कार उद्योग/पर्यटन उद्योग में किसी समान पद पर 20 व्यक्तियों अथवा अधिक के दल का संचालन किया हो। 2. पदधारकों की प्रोन्नति के लिए क. प्रासंगिक क्षेत्र में पी.एच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक शाखा में स्नातक अथवा निष्णात स्तर परप्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष और ख. अनुबंध–III अनुसारन्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षाए पूर्ण की हों। और

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
ग. अपेक्षाओं के लिए निम्न वर्णित सेट में से किसी एक की पूर्ति की हो
<table>
<tr><td>सेट संख्या</td><td colspan="3">सहायक प्रोफेसर (चयन ग्रेड) के संवर्ग में अर्जित किये जाने के लिये</td></tr>
<tr><td></td><td>अनुभव (वर्षों में)</td><td>एससीआई जर्नलों / यूजीसी / अधातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में शोध प्रकाशन</td><td>औसत 360 डिग्री प्रतिपुष्टि अंक (10 में से)</td></tr>
<tr><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>5 से <8</td></tr>
<tr><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>8 से10</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>असिस्टेंट प्रोफेसर (सहायक प्रोफेसर)(लेवल–10, प्रवेश वेतन–57700/–)</td>
<td>सीधी भर्ती</td>
<td>
सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं–

1. सहायक प्रोफेसर (लेवल–10, प्रवेश वेतन–57700/–) के लिए न्यूनतम अर्हताएं

होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी) में न्यूनतम 4 वर्षीय स्नातक डिग्री (अथवा अधिसूचना संख्या 82, दिनांक 01 मार्च 2019 से पूर्व तीन वर्षीय HMCT स्नातक डिग्री); और एचएमसीटी अथवा प्रासंगिक विषय क्षेत्र में निष्णात डिग्री जिसमें से दोनों डिग्रियों में किसी एक मे प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष
अथवा
होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी (एचएमसीटी) में न्यूनतम 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष में तथा किसी 4–सितारा होटल में सहायक प्रबंधक से अन्यून प्रबंधकीय स्तर अथवा आतिथ्य सत्कार उद्योग/पर्यटन उद्योग में किसी समकक्ष पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव।

2.सहायक प्रोफेसर के लिए अर्हताएं (वरिष्ठ मान,
</td>
</tr>
</table>

लेवल–11, प्रवेश वेतन–68900/–)

पदधारकों की प्रोन्नति के लिए

(क) सहायक प्रोफेसर के पद के लिए विनिर्दिष्ट अर्हताएं

और

(ख) अनुबंध–III के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षाएं पूर्ण की हों

और

(ग) अपेक्षाओं के नीचे उल्लिखित सेट में से किसी एक की पूर्ति की हो

सेट संख्या	अतिरिक्त अर्हता	सहायक प्रोफेसर के संवर्ग में अर्जित किए जाने के लिए		
		अनुभव (वर्षों में)	एससीआई जर्नलों/यूजीसी/अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में शोध प्रकाशन	औसत 360 डिग्री प्रतिपुष्टि अंक (10 में से)
1	–	4	2	8 से 10
2	–	5	1	8 से10
3	–	5	2	5 से <8

3.सहायक प्रोफेसर के लिए अर्हताएं (चयन ग्रेड, लेवल–12, प्रवेश वेतन–79800/–)

पदधारकों की प्रोन्नति के लिए

(क) सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान) के पद के लिए विनिर्दिष्ट अर्हताएं

और

(ख) अनुबंध–III के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षाएं पूर्ण की हों

और

(ग) अपेक्षाओं के नीचे उल्लिखित सेट में से किसी एक की पूर्ति की हो

सेट संख्या		सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान) के संवर्ग में अर्जित किए जाने के लिये		
	अतिरिक्त	अनुभव	एससीआई	औसत 360

	अर्हता	(वर्षों)	जर्नलों / यूजीसी / अभातशिप अनुमोदित जर्नलों की सूची में शोध प्रकाशन	डिग्री प्रतिपुष्टि अंक (10 में से)
1	—	4	1	8 से <10
2	—	4	2	5 से<10

टिप्पणी 1:– पूर्व अर्हताओं के साथ कार्यरत पदधारकों हेतु अखिल भारतीय शिक्षा परिषद नई दिल्ली के द्वारा प्रख्यापित अधिसूचना फाइल सं0 61–1 / आर आई एफ डी / सातवां सीपीसी / 2016–17 दिनांक 01.03.2019 के प्रस्तर 7.5 में उल्लेखित प्राविधान भी उन सभी पर लागू होगें।

टिप्पणी 2:–उपरोक्ततालिका के क्रमांक 4 में अंकित असिस्टेंट प्रोफेसर (लेवल–10) पदधारकों में उच्चतर वेतनक्रम (लेवल–11 एवं लेवल–12) की अनुमन्यता उनके द्वारा तालिका में संगत पदों हेतु विहित की गई वांछित अर्हता पूर्ण करने पर ही अनुमन्य होगी।उच्चतर वेतन क्रम की अनुमन्यता भी इस हेतु परिषद के अध्यक्ष द्वारा गठित की जाने वाली समिति के द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त निर्गत होने वाले आदेश के अनुसार ही होगी।

टिप्पणी 3:– सहायक प्रोफेसर के रूप में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं के नियम 5.1(ङ) में पूर्व में उल्लिखित अर्हताओं में संशोधन करते हुए ए.आई.सी.टी.ई. के नोटिस संख्या–F.No.61-3/RIFD/7th CPC/2016-17 Date18-03-2020 में उल्लिखित प्राविधान भी लागू होगें, जो पदधारक के अग्रेत्तर सेवा लाभ हेतु भी मान्य होगें।

(ख)प्रशासनिक स्टाफ / शिक्षणेत्तर स्टाफः–

सेवा में विभिन्न शिक्षणेत्तरपदों(निम्नवत तालिका में दिये गये) की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :–

क्र.सं.	पदनाम / वेतनमान	भर्ती का स्रोत पदोन्नति / सीधी भर्ती	भर्ती / पदोन्नति की प्रक्रिया
1.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (9300–34800 ग्रेड पे 4800)	प्रोन्नति	कार्मिक विभाग के अधिसूचना सं0–170, दिनांक 01 जून, 2011 "उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण संशोधन नियमावली, 2011 (समय–समय पर यथासंशोधित)" के अनुसार।
2.	प्रशासनिक अधिकारी	प्रोन्नति	–तदैव–

	(9300–34800 ग्रेड पे 4600)		
3.	वरिष्ठ सहायक (प्रवर सहायक) (5200–20200 ग्रेड पे 2800)	प्रोन्नति द्वारा	–तदैव–
4.	कनिष्ठ सहायक (5200–20200 ग्रेड पे 2000)	सीधी भर्ती	–तदैव–
5.	कनिष्ठ सहायक/स्वागती कम लिपिक (5200–20200 ग्रेड पे 2000)	सीधी भर्ती	–तदैव–
6.	लेखाकार (9300–34800 ग्रेड पे 4200)	प्रोन्नति	कार्मिक विभाग के अधिसूचना सं0–124, दिनांक 12 जून, 2019 ''उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखासंवर्ग (अराजपत्रित) सेवानियमावली, 2019 (समय–समय पर यथासंशोधित)'' के अनुसार।
7.	सहायक लेखाकार/कैशियर (5200–20200 ग्रेड पे 2800)	सीधी भर्ती	–तदैव–
8.	प्रधान सहायक(स्टोर)/ मुख्य सहायक (9300–34800 ग्रेड पे 4200)	प्रोन्नति द्वारा	राज्य सरकार में विद्यमान नियमों अर्हता के अधीनउपरोक्त क्रमांक 1 में वर्णित नियमावली के अनुसार।
9.	पुस्तकालयाध्यक्ष (9300–34800 ग्रेड पे 4800)	सीधी भर्ती	**माध्यमिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–40, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के अनुसार अर्हता :–** 1. स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि या पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक उपाधि ; एवं 2.डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में ओ लेवल का प्रमाण पत्र।
10.	असिस्टैन्ट लाईब्रेरियन/छात्र लिपिक (पुस्तकालय लिपिक) (5200–20200 ग्रेड पे 2800)	सीधी भर्ती	**माध्यमिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–40, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के अनुसार अर्हता :–** इण्टमीडिएट तथा पुस्तकालय विज्ञान

			में दो वर्षीय डिप्लोमा एवं डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में सी0सी0सी0 लेवल का प्रमाण पत्र।
11.	व्यैक्तिक सहायक (9300–34800 ग्रेड पे 4200)	सीधी भर्ती	कार्मिक विभाग के अधिसूचना सं0–121, दिनांक 21 मई, 2018 "अधीनस्थ कार्यालय व्यैक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 (समय–समय पर यथासंशोधित)" के अनुसार।
12.	लैब अटेंडेंट (प्रयोगशाला सहायक) (5200–20200 ग्रेड पे 1800)	सीधी भर्ती	1.राज्य सरकार में विद्यमान नियमों में अर्हता के अधीन यथा समय–समय पर संशोधित के अनुसार एवं 2.मान्यता प्राप्त संस्था से होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलॉजी में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा/समकक्ष योग्यता तथा एक वर्ष का होटल में कार्य का अनुभव।

9. **अधिवर्षता की आयु :–**

समस्त संकाय सदस्यों तथा संस्थाओं के प्राचार्यो/निदेशकों की अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष होगी। शिक्षणेत्तर कार्मिकों हेतु अधिवर्षता आयु उत्तराखण्ड सरकार के विद्यमान नियमों के अन्तर्गत होगी।

10. **चरित्र :–**

सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिसमें व सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी :– संघ सरकारी सा राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

11. वैवाहिक प्रास्थिति :–

पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगी।परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

12. शारीरिक योग्यता :–

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये आदेश निर्गत करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये गये मूल नियम 10 और उसके अधीन बनाये गये सहायक नियमों के अनुसार जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिया गया है, स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे, परन्तु The Right of Persons With Disabilities Act–2016 (अधिनियम संख्या–49 वर्ष, 2016 भारत सरकार) की धारा–33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा–34 के अन्तर्गत चिहिन्त श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा। परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पांच– भर्ती प्रक्रिया

13. रिक्तियों की आवधारणा :–

प्रशासक मण्डल तत्समय प्रवृत नियमों के अनुसार शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर पदों की वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

14. सीधी भर्ती की प्रक्रिया :–

(क)शैक्षणिक पदों के लिये सीधी भर्ती के लिए एक चयन समिति का गठन किया जायेगा, जिसमे निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

1.	सोसायटी के अध्यक्ष/प्रमुख सचिव/सचिव,पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3.	शासकीय निकाय के दो सदस्य जिनका नाम निर्देशन, अध्यक्ष द्वारा कियाजायेगा जिसमें	सदस्य

	से एक अकादमिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा	
4.	तीन विशेषज्ञ जिसमें संस्थान के प्राचार्य/निदेशक, सम्बन्धित विषय का एक प्रोफेसर एवं एक शिक्षाविद् जिसका नाम निर्देशन शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया गया हो	सदस्य
5.	अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग जन श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से सम्बन्धित कोई उम्मीदवार आवेदक हो जिसका नाम निर्देशन, कुलपति अथवा सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, यदि चयन समिति के उपयुक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से सम्बन्धित नहीं है	सदस्य
6.	शासी निकाय के प्राचार्य/निदेशक	सदस्य-सचिव

नोटः-बैठक के लिये गणपूर्ति का गठन करने के प्रयोजनार्थ, पाँच सदस्य उपस्थित होगें जिनमें से कम से कम दो सदस्य उपरोक्त कुल तीन विषय विशेषज्ञों में से होगें।

(ख) चयन समिति आवेदन-पत्रों की समीक्षा करेगी और पात्र अभ्यर्थियों से साक्षात्कार में उपस्थित रहने की अपेक्षा करेगी। यदि विज्ञापित पदों की संख्या के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों की संख्या आनुपातिक रूप से अत्यधिक हो तो, चयनसमिति इस हेतु लिखित परीक्षा (स्क्रीनिंग) हेतु भी यथाआवश्यकता आयोजित करा सकेगी। लिखित परीक्षा के आयोजक संस्था के संबंध निर्णय परिषद के अध्यक्ष द्वारा परिषद के शासी निकाय की बैठक के माध्यम से लिया जायेगा।

(ग) चयन समिति प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगी। चयन समिति पद के लिए उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर, गुणानुक्रम के आधार पर क्रमांकित करेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।

15. शिक्षणेत्तर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया :-

(क)शिक्षणेत्तर के पदों को राज्य सरकार के विद्यमान संगत नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रकिया एवं व्यवस्था प्रस्तर-8(ख) के अनुसार क्रियान्वित किया जायेगा।

(ख)शिक्षणेत्तर पदों के प्रोन्नति पदों पर भर्ती हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत किया जायेगा, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1.	प्राचार्य/निदेशक, एस0आई0एच0एम0सी0टी0 एण्ड ए0एन0, नईटिहरी	अध्यक्ष
2.	निदेशक, वित, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् ,देहरादून	सदस्य
3.	अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, यू0टी0डी0बी0/पर्यटन निदेशालय, देहरादून	सदस्य
4.	प्रशासक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य

5.	अनुसूचितजाति / अनुसूचितजनजाति / अन्यपिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / दिव्यांग जन श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से सम्बन्धित कोई उम्मीदवार आवेदक हो जिसका नाम निर्देशन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किया जायेगा यदि चयन समिति के उपयुक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से सम्बन्धित नहीं है।	सदस्य

(ग) चयन समिति शिक्षेणत्तर पदों पर प्रोन्नति हेतु संगत सेवानियमावलियों में विहित पदोन्नति प्रक्रिया / अर्हता के आधार पर परीक्षण / अनुशीलन करते हुए प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रोन्नति हेतु उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों की सीमा में उनके मूल वरिष्ठतानुक्रम में अपनी संस्तुति तैयार करेगी और अपनी संस्तुति परिषद के अध्यक्ष को प्रेषित करेगी।

(घ) <u>शिक्षेणत्तर पदों पर सीधी भर्तीः–</u>उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) उत्तराखण्ड द्वारा; लिखित परीक्षा के आधार पर व मैरिट लिस्ट तैयार करते हुए पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा एवं उक्त चयन सूची परिषद के अध्यक्ष को प्रेषित करेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी।

(ङ.)शिक्षेणत्तर सीधी भर्ती के पदों हेतु अर्हता :–

क्र.सं.	पदनाम / वेतनमान	भर्ती का स्रोत /	सीधी भर्ती
1.	कनिष्ठ सहायक (5200–20200 ग्रेड पे 2000)	सीधी भर्ती	उत्तराखण्डअधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC)समूह'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार, विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के अनुसार (समय–समय पर यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता से कम न हो तथा अभ्यर्थी कम्प्यूटर संचालन में 4000 की–डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति होनी आवश्यक है एवं कम्प्यूटर हिन्दी टंकण (देवनागरी लिपि) में दक्ष होना आवश्यक है।

			अधिमानी अर्हता :– (a) कम्प्यूटर पर अंग्रेज़ी टंकण का ज्ञान प्राप्त किया हो। (b) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (c) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।
2.	कनिष्ठ सहायक/स्वागती कम लिपिक (5200–20200 ग्रेड पे 2000)	सीधी भर्ती	–तदैव–
3.	सहायक लेखाकार/कैशियर (5200–20200 ग्रेड पे 2800)	सीधी भर्ती	उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2019 के अनुसार अर्हता (यथा समय–समय पर संशोधित)। सहायक लेखाकार के पद सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बी0बी0ए0 (Bachelor IN Business Administration) अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन एकाउण्टेंसी तथा हिन्दी टंकण में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए तथा अनिवार्य/वांछनीय अर्हताएं, समय–समय पर यथासंशोधित नियमावलियों के अनुसार होंगी।
4.	पुस्तकालयाध्यक्ष (9300–34800 ग्रेड पे 4800)	सीधी भर्ती	**माध्यमिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–40, दिनांक 28 ज़नवरी, 2013 के अनुसार अर्हता** 1. स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक उपाधि

			या पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक उपाधि ; एवं 2.डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में ओ लेवल का प्रमाण पत्र।
5.	असिस्टैन्ट लाईब्रेरियन / छात्र लिपिक (पुस्तकालय लिपिक) (5200–20200 ग्रेड पे 2800)	सीधी भर्ती	**माध्यमिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–40, दिनांक 28 जनवरी, 2013 के अनुसार अर्हता :–** इण्टमीडिएट तथा पुस्तकालय विज्ञान में दो वर्षीय डिप्लोमा एवं डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर संचालन में सी0सी0सी0 लेवल का प्रमाण पत्र।
6.	व्यैक्तिक सहायक (9300–34800 ग्रेड पे 4200)	सीधी भर्ती	कार्मिक विभाग के अधिसूचना सं0–121, दिनांक 21 मई, 2018 "अधीनस्थ कार्यालय व्यैक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा (सीधी भर्ती) नियमावली, 2018 (समय–समय पर यथासंशोधित)" के अनुसार तथा संशोधित नियमावली, 2021 के अनुसार सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के साथ–साथ हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति प्राप्त करना अनिवार्य

			होगा। **अधिमानी अर्हताः—** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।
7.	लैब अर्टेडेंट (प्रयोगशाला सहायक) (5200—20200 ग्रेड पे 1800)	सीधी भर्ती	राज्य सरकार में विद्यमान नियमों अर्हता के अधीन।, एवं मान्यता प्राप्त संस्था से होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टैक्नोलॉजी में न्यूनतम एक वर्षीय डिप्लोमा/समकक्ष योग्यता तथा एक वर्ष का होटल में कार्य का अनुभव।

16. पदोन्नति के लिए भर्ती प्रक्रिया :—

विभिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया वार्षिक रूप से क्रियान्वित की जाएगी ताकि अभातशिप मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित संकाय संख्या और संवर्ग अनुपात अनुरक्षित किया जाएगा जिसमें विद्यार्थियों को कोई क्षतिकारित न हो। संकाय सदस्यों को प्रोन्नति के लिए साक्षात्कार एक नियमित अवधि पर वार्षिक रूप से संचालित किए जाए ताकि संकाय सदस्यों के कैरियर विकास में किसी गतिरोध से बचा जा सके। जो उम्मीदवार नियमों में प्रस्तावित न्यूनतम अपेक्षा की पूर्ति नहीं करते है, उनका एक वर्ष की अवधि के पश्चात पुनः मूल्यांकन किया जाएगा। प्रोन्नति की तारीख, वह तारीख होगी, जिसको वह समस्त न्यूनतम अपेक्षाओं की पूर्ति करता है तथा उसका सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन किया जाता है एवं चयन समिति द्वारा किस आधार पर की गयी संस्तुति के आलोक में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तद्विषयक आदेश निर्गत कर दिया जाय।

इन नियुक्तियों/सहायक प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर में प्रोन्नतियों के लिए यथालागू चयन समिति प्रस्तर—14 में उल्लिखित है।

जो संकाय प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए इच्छुक है, वे संबधित संस्थान द्वारा तैयार किए गए विनिर्दिष्ट प्रपत्र में लिखित में अपनी उस देय तारीख, जिसको वह सभी अपेक्षित अर्हताओं की पूर्ति कर लेता है, से तीन माह के भीतर संस्थान के प्राचार्य/निदेशक को समस्त प्रत्यय—पत्रों द्वारा सम्यक रूप से समर्थित आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

चयन समिति द्वारा शैक्षणिक पदों के लिए तैयार की गयी योग्यता सूची के अभ्यर्थियों का पदोन्नति पर ज्येष्ठता सह श्रेष्ठता के आधार पर विचार किया जायेगा एवं शिक्षणेत्तर पदों पर पदोन्नति के लिए यथा लागू संगत नियमों के आधार पर विचार किया जायेगा।

17. संयुक्त चयन सूची :—

यदि किसी भर्ती के वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

उदाहरण :– उदाहरण के लिए एक ही चयन वर्ष में एसोसिएट प्रोफेसर के 4 पदों पर भर्ती की जाती है जिससे 2 पदोन्नति व 2 सीधी भर्ती से नियुक्त किये जाते हैं तब उनको संयुक्त चयन/ज्येष्ठता सूची निम्न प्रकार होगी :–

1–	प	3–	प
2–	सी	4–	सी

भाग छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

18. नियुक्ति :–

(क)प्रस्तर–14 में उल्लेखित चयन समिति विज्ञापित पदों के सापेक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए0आई0सी0टी0ई0) के मानकानुसार, राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अधीन योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर सूची तैयार करेगी। तत्पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्ति पत्र जारी करेगा।

(ख) यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है।

(ग) शिक्षणेत्तर पदोंपर राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया एवं व्यवस्था अनुसार नियुक्ति की जायेगी तथा शिक्षणेत्तर पदों पर पदोन्नति के लिए यथा लागू चयन समिति प्रस्तर–15 पर उल्लेखित है।

19. परिवीक्षा :–

(क) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति सहायक प्रोफेसर के पद पर 02 वर्ष तथा अन्य शैक्षणिक पदों पर 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जायेगा।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी को अधिकार होगा की वह नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधी विशेष परिस्थितियों में आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष तक बढ़ा सकता है।

(ग) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का प्रर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(घ) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (ग) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

20. परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि –

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है; तथा

(ग) परिषद संतुष्ट हो गयी है कि वह स्थायीकरण हेतु योग्य है।

21. ज्येष्ठता :–

(1) सेवा में किसी भी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार किया जायेगा। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी। जिसमें उनके नाम, उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं।

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी नियुक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथा स्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधारित की जाय।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उनके संवर्ग में थी जिससे उन्हे पदोन्नत किया गया था।

(4)जहाँ नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक स्रोत द्वारा की जाती है और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहें।

परन्तु उपबन्ध यह है कि:–

1. जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाती है वहां कोटे से अधिक नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हो, नीचे कर दी जायेंगी।
2. जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती है और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती है, वहां इस प्रकार व्यक्तियों किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की

ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रखा जायेगा।

3. जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरे जानी वाली रिक्तियां संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में किसी अन्य स्रोत से भरी जा सकती है औरा इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियां की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानो उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियां के विरूद्ध की गयी है।

भाग 7– वेतन आदि

22. वेतनमान:–

(क) सेवा में शैक्षणिक श्रेणीयों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानकों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जायेगा, एवं सेवा में शिक्षणेत्तर श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जायेगा।

(ख) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होगें :–

(क)शैक्षणिक/शिक्षण स्टाफ :–

क्र0स0	पदनाम	पे मैट्रिक्स/लेवल
01.	निदेशक /प्राचार्य	लेवल–14 (AICTEमानकानुसार)(राज्य सरकार के अनुसार लेवल–15)
02.	प्रोफेसर	लेवल–14 (AICTEमानकानुसार) (राज्य सरकार के अनुसार लेवल–15)
03.	एसोसिएट प्रोफेसर	लेवल–13 ए1 (AICTEमानकानुसार)
04.	असिस्टेंट प्रोफेसर	लेवल–10 (AICTEमानकानुसार)

(ख)प्रशासनिक स्टाफ/शिक्षणेत्तर स्टाफ :–

क्र0स0	पदनाम	वेतनमान
01.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800ग्रेड पे 4800वर्तमान में (लेवल–8)
02.	पुस्तकालयाध्यक्ष	9300–34800 ग्रेड पे 4800वर्तमान में (लेवल–8)
03.	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800 ग्रेड पे 4600वर्तमान में (लेवल–7)

04.	प्रधान सहायक (स्टोर)	9300–34800 ग्रेड पे 4200वर्तमान में (लेवल–6)
05.	लेखाकार	9300–34800 ग्रेड पे 4200वर्तमान में (लेवल–6)
06.	वैयक्तिक सहायक	9300–34800ग्रेड पे 4200वर्तमान में (लेवल–6)
07.	असिस्टेन्ट लाईब्रेरियन/छात्र लिपिक	5200–20200 ग्रेड पे 2800वर्तमान में (लेवल–5)
08.	कैशियर/सहायक लेखाकार	5200–20200 ग्रेड पे 2800वर्तमान में (लेवल–5)
09.	वरिष्ठ सहायक	5200–20200 ग्रेड पे 2800वर्तमान में (लेवल–5)
10.	कनिष्ठ सहायक/ स्वागती कम लिपिक	5200–20200 ग्रेड पे 2000वर्तमान में (लेवल–3)
11.	कनिष्ठ सहायक	5200–20200 ग्रेड पे 2000वर्तमान में (लेवल–3)
12.	लैब अटेंडेंट	5200–20200 ग्रेड पे 1800वर्तमान में (लेवल–1)

23. परिवीक्षा के दौरान वेतन :–

(1)मूल नियम में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, प्रारिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायीसरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, प्रशिक्षण जहां विहित हो, पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो।

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियम द्वारा विनियमित होगा :–
परन्तु यदि सन्तोष प्रदान कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाये जो इस प्रकार बढाई गई अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी तब तक कि नियुक्ति प्रधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्याकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

<u>भाग 8– अन्य प्राविधान</u>

24. अधियाचन :–

किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

25. अन्य विषयों का विनियमन :–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू निवियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

26. सेवा शर्तों का शिथिलीकरण :–

यदि निदेशक/प्राचार्यके संज्ञान में यह आता है कि इन नियमों में से किसी के संचालन से संस्थान के कार्यकलापों में कठिनाई पैदा करने की संभावना है, तो वे किसी भी नियम या शर्तों में छूट के लिए प्रशासक मण्डल के अध्यक्ष (अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन)के सामने ऐसा मामला रख सकते हैं। ऐसे मामले या मामलों की गम्भीरता के दृष्टीगत परिषद् किसी भी नियम या शर्तों को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उचित और न्यायसंगत तरीके से शिथिल कर सकती है।

27. व्यावृत्ति :–

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा इनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थीयों के उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

<u>परिशिष्ट–01</u>

पदनाम	पदों की स्थिति / संख्या		वेतनमान
प्राचार्य / निदेशक	स्थायी	01	(लेवल–14) (राज्य सरकार के अनुसार लेवल–15)
प्रोफेसर	स्थायी	01	(लेवल–14) (राज्य सरकार के अनुसार लेवल–15)
एसोसिएट प्रोफेसर	स्थायी	03	(लेवल–13 ए1)
असिस्टेंट प्रोफेसर	स्थायी	11	(लेवल–10)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	स्थायी	01	9300–34800 ग्रेड पे 4800वर्तमान में (लेवल–8)
पुस्तकालयाध्यक्ष	स्थायी	01	9300–34800 ग्रेड पे 4800वर्तमान में (लेवल–8)
प्रशासनिक अधिकारी	स्थायी	01	9300–34800 ग्रेड पे 4600वर्तमान में (लेवल–7)
प्रधान सहायक (स्टोर)	स्थायी	01	9300–34800ग्रेड पे 4200वर्तमान में (लेवल–6)
लेखाकार	स्थायी	01	9300–34800 ग्रेड पे 4200वर्तमान में(लेवल–6)
वैयक्तिक सहायक	स्थायी	01	9300–34800 ग्रेड पे 4200वर्तमान में (लेवल–6)
असिस्टैन्ट लाईब्रेरियन / छात्र लिपिक	स्थायी	01	5200–20200 ग्रेड पे 2500वर्तमान में (लेवल–5)
कैशियर / सहायक लेखाकार	स्थायी	01	5200–20200 ग्रेड पे 2800वर्तमान में (लेवल–5)
वरिष्ठ सहायक	स्थायी	02	5200–20200 ग्रेड पे 2800वर्तमान में (लेवल–5)
कनिष्ठ सहायक / स्वागती कम लिपिक	स्थायी	02	5200–20200 ग्रेड पे 2000वर्तमान में (लेवल–3)
कनिष्ठ सहायक	स्थायी	01	5200–20200ग्रेड पे 2000वर्तमान में (लेवल–3)
लैब अटेंडेंट	स्थायी	08	5200–20200 ग्रेड पे 1800वर्तमान में (लेवल–1)
कुल योग :–		**37**	

Signed by
Sachin Sharad Kurve (सचिन कुर्वे)
Date: 25-02-2025 सचिव 13:47:05